न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 69 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 09.10.2023

1—देवकिशन पुत्र कजोड जाति गुर्जर निवासी सूरज्या भेरू तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2—रामकिशन पुत्र कजोड कजोड जाति गुर्जर निवासी सूरज्या भेरू तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलांट्स

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 23.08.2023 मिसल नम्बर 1398 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री दौलतराम चौधरी,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 21.05.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 23.08.2023 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 24 / रू. पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया है। अपीलांट के विरूद्व हल्का पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांट्स को जिरह करने का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट्स का उक्त भूमि पर कोई कब्जा

जिला कलेक्टर
टोंक

नही है। अपीलांट्स ने मौके पर से अपना कब्जा हटा लिया है। वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 800 व 516 कजोड व कजोडी की गैर खातेदारी की भूमि है। इन दोनो खसरा नम्बरो को दो भागो मे बाटते हुए खसरा नम्बर 815 का रास्ता केवल शीट मे है,परन्तु खसरा नम्बर 816 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 816 मे कदीम से मौके पर रास्ता हुए भी रंजिश वश लादू ने झूठी शिकायत करते हुए और नायब तहसीलदार से साठ–गांठ करके अपीलांट्स के विरूद्व उक्त कार्यवाही करवाकर सजायाब कराया है,जबकि पूरी ढाणी सूरज्या भेरू की जनता को कोई रास्ते की शिकायत नही है। खसरा नम्बर 816 की उत्तरी मेड के सहारे रास्ता है,जिस पर पंचायत ने झीकरा मिट्टी डलवा रखी है। मौके पर रास्ता अवरूद्व नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलांट्स को तीन सजाये क्रमशः बेदखल करने,पेनल्टी आरोपित करने व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है जो गलत है। अपीलांट्स ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 815 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2024 से भी अपीलान्ट को खसरा नं0 815 पर से बेदखल किये जाने व फसल नीलाम करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से दिलखुश की तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 815 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1390/2023 निर्णय दिनांक 09.03.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय में जिला कलेक्टर टोंक के निर्देशानुसार दिनांक 21.07.2023 को उक्त रास्ते का अतिक्रमण हटवा कर मौका पर्चा बनाया गया, परन्तु दिनांक 3.08.2023 को पटवारी हल्का द्वारा 91 की रिपोर्ट के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि उक्त अतिचारियों (अपीलान्ट) द्वारा उक्त रास्ते पर पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने का उल्लेख किया है। निर्णय दिनांक 09.03.2023 की पालना मे

जिला कलेक्टर
टोंक

पटवारी हल्का सुरेली व भू.अ. निरीक्षक बनेठा ने मौके पर उपस्थित मोतवीरान के सामने अपीलांट्स को बेदखल कर सरसों की फसल को कब्जेराज ली गई। खसरा नं. 815 किस्म गैर मुमकिन रास्ता के संबंध में समस्त ग्रामवासी सुरज्या भैरू द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष दिनांक 19.01.2023, 16.02.2023, 18.05.2023, 20.07.2023, 17.08.2023 को जनसुनवाई में उपस्थित होकर उक्त रास्ते के अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.02.2024 से भी अपीलान्ट को खसरा नं0 815 पर से बेदखल किये जाने व फसल नीलाम करने का निर्णय पारित किया है।

अपीलांट्स ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है,परन्तु उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स/अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट्स भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 23.08.2023 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक